



## प्रेस विज्ञप्ति

**04.09.2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने मैसर्स फ्रेंड्स मेडिकल एजेंसी नाम की एक मेडिकल दुकान के मालिक राजेश कुमार के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधान के तहत माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), एसएस नगर (मोहाली) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 16.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने राजेश कुमार पुत्र श्री मुख राज के खिलाफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 22 के तहत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी बिना बिल के नशीली गोलियां बेच रहा था। वह लंबे समय से इन नशीली दवाओं की बिक्री में शामिल था और अपराध की आय यानी ड्रग मनी के माध्यम से चल/अचल संपत्ति अर्जित की थी।

राजेश कुमार और उनके परिवार से संबंधित 1.37 करोड़ रुपये (लगभग) की विभिन्न चल/अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था। उक्त कुर्की की पुष्टि तब एलडी निर्णायक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा की गई थी।

आगे की जांच जारी है।

\*\*\*\*\*